एक नजर में

जिला न्यायालय में चिकित्सा कक्ष का शुभारंभ,

नीमच। जिला न्यायालय, नीमच के प्रथम तल स्थित कक्ष क्रमांक-8 में गुरुवार को न्यायालय परिसर में आने वाले पक्षकारों, अधिवक्ताओं, न्यायालयीन कर्मचारियों एवं न्यायाधीशों की स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा कक्ष का शुभारंभ किया गया। चिकित्सा कक्ष का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह राजपूत ने किया। इस अवसर पर जिला मुख्यालय पर पदस्थ सभी न्यायाधीश, जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष मनीष जोशी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. डी. प्रसाद, अभिभाषक संघ के उपाध्यक्ष शांतिलाल जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मण सिंह भाटी, लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स तथा न्यायालयीन कर्मचारी उपस्थित रहे। शुभारंभ के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने स्वयं अपना रक्तचाप (बीपी) परीक्षण कराकर चिकित्सा कक्ष का औपचारिक उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि न्यायालय परिसर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं सुविधा का ध्यान रखना न्यायिक परिवार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। चिकित्सा कक्ष में न्यायालयीन कार्य समय के दौरान पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की गई है। यहां पक्षकारों, अधिवक्ताओं, कर्मचारियों एवं न्यायाधीशों को प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध रहेगी। साथ ही रक्तचाप (बीपी), शुगर सहित अन्य आवश्यक स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था भी की गई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह राजपूत ने कहा कि यह पहल न्यायिक परिवार के स्वास्थ्य, कल्याण एवं बेहतर कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जिला न्यायालय, नीमच में प्रारंभ की गई यह सुविधा न्यायालय परिसर में आने वाले सभी लोगों के लिए उपयोगी एवं लाभदायक सिद्ध होगी।

सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जीरन में चालानी अभियान

जीरन। नगर परिषद जीरन द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के तहत नगर क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक एवं पॉलीथीन पर प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से विशेष जागरूकता एवं चालानी अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान व्यापारियों को प्लास्टिक का उपयोग बंद करने तथा स्वच्छता नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। अभियान के अंतर्गत पुराना बस स्टैंड, नया बस स्टैंड, सदर बाजार एवं गणपति मंदिर-गांधीनगर क्षेत्र में संयुक्त निरीक्षण किया गया। इस दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी कपिल सिंह राजावत के साथ नगर पालिका के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के खिलाफ मौके पर चालानी कार्रवाई की गई। बड़े व्यापारियों से 200 रुपये तथा छोटे व्यापारियों से 100 रुपये का जुर्माना वसूला गया। नगर परिषद ने स्पष्ट किया कि स्वच्छता एवं प्लास्टिक प्रतिबंध संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। नगर परिषद ने नागरिकों एवं व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि नगर को स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त बनाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। व्यापारियों से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न कर भंडारण पूरी तरह बंद करने तथा नागरिकों से बाजार जाते समय कपड़े के थैले का उपयोग करने का आग्रह किया गया।

'गर्भ से गौरव तक' धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम

नीमच। श्री महावीर जिनालय ट्रस्ट एवं चातुर्मास समिति के संयुक्त तत्वावधान में 8 अगस्त, शुक्रवार को शाम 7:30 बजे महावीर जिनालय आराधना भवन में धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। श्रीसंघ अध्यक्ष राकेश जैन आंचलिया, चातुर्मास समिति के अध्यक्ष राजमल छाजेड़ तथा कार्यक्रम संयोजक वंदना आंचलिया ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 'सपनों से साकार की ओर : गर्भ से गौरव तक' विषय पर आधारित विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति रहेगी। इसमें 24 तीर्थंकरों की माताओं द्वारा गर्भावस्था के दौरान प्राप्त दिव्य अनुभूतियों को नृत्य-नाटिका एवं अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से सजीव रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। आयोजकों ने समाजजनों से निर्धारित समय से पूर्व कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने की अपील की है। उन्होंने बताया कि शाम 7:30 बजे से पहले पहुंचने वाले प्रथम 10 समाजजनों का लकी ड्रॉ के माध्यम से चयन कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा।

गांधी नगर योजना क्रमांक-5 की ग्रीन बेल्ट में अवैध अतिक्रमण का मामला गरमाया

रहवासियों ने नाले के बफर जोन से गुमटियां, झुग्गियां हटाने और अवैध कारोबार पर कार्रवाई की मांग की

नीमच। गांधी नगर योजना क्रमांक-5 के वैध भूखंडधारकों एवं रहवासियों ने ग्रीन बेल्ट और मुख्य नाले के किनारे बढ़ रहे कथित अवैध अतिक्रमण को लेकर नगर पालिका एवं जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में रहवासियों ने एक विस्तृत आवेदन सौंपकर ग्रीन बेल्ट क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग उठाई है।

आवेदन में आरोप लगाया गया है कि मुख्य नाले के 30 मीटर बफर जोन एवं ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में नियमों की अनदेखी करते हुए अवैध गुमटियां, टपरियां और झुग्गियां बनाई जा रही हैं। रहवासियों का कहना है कि इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचने के साथ ही बारिश के दौरान जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति का खतरा भी बढ़ गया है।

रहवासियों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में बिना अनुमति के नॉनवेज ढाबों का संचालन किया जा रहा है। उनका कहना है कि देर रात तक लोगों की भीड़ लगी रहती है, शराबखोरी एवं विवाद जैसी घटनाएं होती हैं, जिससे महिलाओं, बच्चों और स्थानीय परिवारों में असुरक्षा का माहौल बना रहता है तथा रात के समय आवागमन प्रभावित होता है।

आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि ग्रीन बेल्ट की शासकीय भूमि पर लगातार अतिक्रमण बढ़ने से भू-माफियाओं की सक्रियता बढ़ रही है। साथ ही क्षेत्र में अवैध रूप से रेत का भंडारण किए जाने और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के कारण मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रहवासियों का कहना है कि अवैध गुमटियों के कारण दिन-रात भारी रेत डंपरों का आवागमन होता है, जिससे नई बनी सड़कों को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने क्षेत्र की कानून-व्यवस्था एवं जनसुरक्षा पर भी चिंता व्यक्त की है।

आवेदन पर कॉलोनी के विजय जोशी, रवि दुआ, सुरेश मालाणी, रमेश मालाणी, अनिल मंगल एवं कमल सेन सहित अन्य रहवासियों के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि नाले के 30 मीटर बफर जोन एवं ग्रीन बेल्ट क्षेत्र से सभी अवैध गुमटियों, झुग्गियों और अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए, अवैध व्यवसायों पर रोक लगाई जाए तथा भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न हो इसके लिए स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

रहवासियों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो पर्यावरण, यातायात व्यवस्था और जनसुरक्षा से जुड़ी समस्याएं और गंभीर हो सकती हैं। इस संबंध में नगर पालिका सीएमओ दुर्गा बामनिया ने बताया कि शिकायत की जानकारी प्राप्त हुई है तथा शीघ्र ही अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा।

स्कूल के पास तंबाकू बेचने वालों पर कार्रवाई, सिगरेट-गुटखा जब्त

नीमच। जिले में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास नशामुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने गुरुवार को शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-2 के 100 मीटर दायरे में विशेष संयुक्त अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान स्कूल के आसपास स्थित दुकानों का निरीक्षण कर सिगरेट, गुटखा एवं अन्य तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के चालान बनाए गए और उन्हें भविष्य में ऐसी सामग्री का विक्रय नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई।

जिला प्रशासन के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, शिक्षा विभाग के अधिकारी, थाना प्रभारी तथा नगर पालिका की संयुक्त टीम शामिल रही। टीम ने स्कूल के आसपास संचालित दुकानों की जांच की और प्रतिबंधित क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पाए जाने पर मौके पर ही वैधानिक कार्रवाई की। अधिकारियों ने बताया कि शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट, गुटखा, तंबाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री कानूनन प्रतिबंधित है। ऐसे मामलों में आगे भी लगातार निरीक्षण कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

फ्रांस से नीमच आए दंपति ने सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाई फ्रेंच

नीमच। फ्रांस के पेरिस के समीप रहने वाले विदेशी दंपति श्रील और क्लारा गुरुवार को 19 दिवसीय भारत भ्रमण के तहत नीमच पहुंचे। दो दिन के प्रवास के दौरान वे जिले की शिक्षा व्यवस्था, ग्रामीण संस्कृति और धार्मिक स्थलों का अनुभव लेंगे। नीमच पहुंचते ही दोनों मेहमान खड़ावदा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों से आत्मीय संवाद किया और उन्हें फ्रेंच भाषा के कुछ सरल शब्द एवं वाक्य सिखाए। बच्चों ने भी उत्साह के साथ विदेशी मेहमानों से बातचीत की, जिससे विद्यालय का माहौल उत्साहपूर्ण बन गया।

इस दौरान नीमच के टूरिस्ट गाइड हिम्मत सिंह मौजूद रहे। उन्होंने विदेशी मेहमानों को भारतीय शिक्षा व्यवस्था, स्थानीय संस्कृति और ग्रामीण जीवन की विशेषताओं से अवगत कराया। श्रील और क्लारा फ्रांस में बीयर निर्माण का व्यवसाय संचालित करते हैं। भारत की संस्कृति, शिक्षा और परंपराओं को नजदीक से समझने की इच्छा से वे भारत यात्रा पर निकले हैं। अपने नीमच प्रवास के दौरान दोनों विदेशी मेहमान ग्रामीण परिवेश का अवलोकन करेंगे, स्थानीय लोगों से मिलेंगे और जिले के प्रसिद्ध भादवा माता मंदिर के दर्शन करने के साथ ही नीमच शहर के प्रमुख स्थानों का भ्रमण भी करेंगे।

भारतीय संस्कृति के प्रति उनके विशेष लगाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे ग्रामीण परिवारों से भारतीय पारंपरिक व्यंजन बनाना भी सीखेंगे।

चौथे दिन भी जारी रही पटवारियों की हड़ताल, राजस्व कार्य प्रभावित

नीमच। प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर जिले के पटवारियों की हड़ताल गुरुवार को चौथे दिन भी जारी रही। जिले के सभी पटवारी तहसील कार्यालय परिसरों में धरने पर बैठे और शासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग की। हड़ताल के चलते आय, जाति, मूल निवासी प्रमाण पत्र, नामांतरण, पट्टा सहित राजस्व विभाग से जुड़े अनेक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। किसानों के राजस्व संबंधी कार्य भी ठप पड़ने से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

पटवारी संघ के जिला उपाध्यक्ष गोविंद सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेशभर के पटवारी लंबे समय से अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर शासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। चरणबद्ध आंदोलन और कई बार पत्राचार के बावजूद अब तक शासन स्तर पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने बताया कि संघ की प्रमुख मांगों में कैडर रिव्यू लागू कर समयमान वेतनमान एवं पदोन्नति का लाभ देना, नायब तहसीलदार की विभागीय परीक्षा शीघ्र आयोजित करना, जॉब प्रोटेक्शन एक्ट में पटवारियों को शामिल करना, विभिन्न विभागों के लंबित मानदेय एवं भुगतान का शीघ्र भुगतान तथा पटवारी संघ के पदाधिकारियों के स्थानांतरण संबंधी विसंगतियों का निराकरण शामिल है।

एक नजर

नपा की अतिक्रमण हटाओ मुहिम जारी, लायंस चौराहा से बारादरी तक हटवाया अतिक्रमण

दो ठेले सहित अन्य सामग्री की जब्त, 20 चालान भी बनाएं

नीमच। शहर के प्रमुख मार्गों पर दुकानों के बाहर फुटपाथ पर कब्जा कर सड़क तक अस्थाई रूप से सामान रखकर यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले व्यवसाईयों के खिलाफ नपा की कार्यवाही नगर पालिका परिषद नीमच की मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती दुर्गा बामनिया के

मार्गदर्शन में निरंतर जारी है। गुरुवार 6 अगस्त को नपा की टीम ने लायन्स चौराहा से बारादरी तक फव्वारा चौक तथा टैगोर मार्ग के दोनो और अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाई और लायंस चौराहा पर सड़क किनारे के अतिक्रमण को हटवाते हुए दो ठेले भी जप्त किये और 20 चालान बनाते हुए 6700 ? जुर्माना भी वसूला। इसी प्रकार फव्वारा चौक व बारादरी के यहां भी दुकानों के बाहर फुटपाथ व सड़क तक किये गए अतिक्रमण को हटाते हुए चेतावनी दी की यदि पुनः अतिक्रमण किया गया तो सामान जप्त करने के साथ ही भारी जुर्माना व अन्य कानूनी कार्रवाई की जावेगी।

गुरुवार 6 अगस्त को मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती दुर्गा बामनिया के निर्देश पर नगर पालिका के राजस्व अधिकारी श्री खेमचंद मुसले, श्री टेकचंद बुनकर, स्वास्थ्य अधिकारी श्री दिनेश टांक, सहायक राजस्व निरीक्षक श्री महावीर जैन, श्री महेंद्र साहू, श्री तेज प्रकाश चोपड़ा, श्री रवि भंडारी, श्री योगेश टांकवाल, स्वच्छता निरीक्षक श्री भारत सिंह भारद्वाज, गैंग प्रभारी श्री दीपक गौहर, श्री राम सिंह आदि ने नपा कर्मचारियों व जेसीबी, ट्रैक्टर ट्राली आदि संसाधनों के साथ लायंस चौराहा के यहां से कार्यवाही की शुरुआत की।

मंदसौर

एक नजर में

जोन लेवल संत निरंकारी महिला संत समागम 9 अगस्त को रतलाम में

मन्दसौर। संत निरंकारी मंडल दिल्ली जोन उज्जैन ब्रांच रतलाम के तत्वाधान में जोन लेवल महिला संत समागम आगामी 9 अगस्त रविवार के दिन नानक धाम परिसर सिंधु नगर विरया खेड़ी रोड रतलाम मे आयोजित होने जा रहा है। महिला समागम मे उज्जैन जोन की 11 रजिस्टर्ड ब्रांच 6 अनरजिस्टर ब्रांचो की बहिने व साध संगत कार्यक्रम मे हिस्सा लेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता जयपुर जोन की आदरणीय बहन सुशीला शर्मा करेंगी सत्संग का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रखा गया है। उज्जैन जोन के जोनल इंचार्ज आदरणीय राजकुमार गनंवानी नें सभी ब्रांचो के संयोजक व मुखी महात्मा व संगतो की चरणों में विनती की हे अधिक से अधिक महिला संत समागम में भाग लेकर सतगुरु के आशीर्वाद के पात्र बने।

दस्तक अभियान 14 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगा

संधारा/नाहरगढ। कलेक्टर दिव्यांक सिंह के मार्गदर्शन में, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर. के. द्विवेदी, दस्तक अभियान के नोडल अधिकारी डॉ. सुरेश सोलंकी एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक निलेश गर्ग - डीपीएम के सानिध्य में जिले में दस्तक अभियान दिनांक 14.07.2026 से 31.08.2026 तक संपूर्ण जिले में चलाया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संधारा, भानपुरा, गांधी सागर, बाबुल्दा में अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा घर-घर भ्रमण किया गया। स्वास्थ्य विभाग के कर्मठ कर्मचारी जगदीश खींची ने बताया कि अभियान के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। आमजन एवं माता-पिता से अपील की गई कि अपने बच्चों की समय पर जांच अवश्य करवाएं। 0 से 5 वर्ष के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं कुपोषण की जांच, बच्चों को विटामिन-ए की खुराक पिलाई जा रही है, ह्त्रक्र-पैकेट एवं 14 दिवस की जिंक गोलियां वितरित की जा रही हैं। निमोनिया एवं दस्त रोग की स्क्रीनिंग की जा रही है, माता-पिता को टीकाकरण की जानकारी दी जा रही है, जांच में कुपोषित पाए जाने वाले बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र, ह्त्रक्च में भर्ती किया जा रहा है। श्री खींची ने कहा कि हर माता-पिता का दायित्व है कि वे अपने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर उनका भविष्य सुरक्षित करें। आप सभी से अनुरोध है कि इस अभियान को सफल बनाएं। इस अवसर पर ब्लॉक संधारा के मेडिकल ऑफिसर डॉ. बी. एल. सिसोदिया, स्टोर कीपर देवेंद्र जांगड़े, संदीप शर्मा सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी एवं कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। सभी का आभार जगदीश खींची ने माना है।

फसल बीमा राशि काटने के बावजूद बैंक द्वारा नुकसानी का भुगतान नहीं

जनसुनवाई में गए किसान, जिला कलेक्टर से मिला आश्वासन, संबंधित को दिया आदेश

भानपुरा। तहसील क्षेत्र भानपुरा के ग्राम नीमथूर, नयागांव व धनकपुरा के किसान रामेश्वर अहीर, भगवान सिंह, श्याम लाल मीणा, भैरव लाल राठौर, बाबूलाल अहीर ने मंगलवार 4 अगस्त को जनसुनवाई समस्त केसीसी धारक एसबीआई निवासी भानपुरा तहसील शिकायत कृमांक 739174 दर्ज की गई।

किसानों के अनुसार जिला कलेक्टर मंदसौर में दिये गये आवेदन पत्र में स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा भानपुरा द्वारा फसल बीमा में बैंक पोर्टल की तकनीकी त्रुटि के कारण हुए आर्थिक नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु आवेदन दिया गया, किसानों ने बताया कि उनके मालिकाना हक की कृषि भूमि पर एसबीआई भानपुरा से केसीसी ऋण बैंक से करवाने पर फसल बीमा की राशि बैंक द्वारा काट ली गई परंतु जब खरीफ फसल 2025 में किसानों को नुकसानी हुई तो बैंक ने किसानों को नुकसानी का भुगतान नहीं किया, उपरोक्त किसानों ने बताया कि लगभग 7 लाख रुपए उन्हें बीमा नुकसानी के मिलने थे एवं बैंक ने केसीसी खातों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बीमा प्रीमियम काटने के बावजूद फसल नुकसानी का भुगतान नहीं करने पर संबंधित बैंक अधिकारी से लिखित में निवेदन किया गया।

परंतु दिए गए आवेदनों की पहुंच/ प्राप्ती देने से भी ब्रांच मैनेजर द्वारा मना कर दिया गया एवं लंबे समय से अनेक बार बैंक शाखा भानपुरा में संपर्क करने के बावजूद जब उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला एवं यहां तक कि भारतीय स्टेट बैंक शाखा भानपुरा के शाखा प्रबंधक द्वारा शिकायत आवेदन लेने से साफ मना कर दिया गया एवं संबंधित अधिकारी से पूछने पर अधिकारी ने अत्यंत गैर जिम्मेदाराना जवाब दिया कि हमारी एजेंसी मुंबई है।

पीड़ित किसानों ने बताया कि ऐसे में क्या गरीब किसान शिकायत लेकर मुंबई जायेंगे, भानपुरा शाखा के अधिकारी द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं देने पर जिला कलेक्टर जनसुनवाई में उपरोक्त किसानों द्वारा दिए गए आवेदन पर किसानों के अनुसार जिला कलेक्टर एवं बैंक से संबंधित अधिकारियों ने किसानों की बात सुनी एवं संबंधित बैंक शाखा को आदेशित कर किसानों को बताया कि अति शीघ्र आपके आवेदन का निराकरण किया जाएगा किसानों ने बताया कि लंबे समय से वे बैंक अधिकारी से संपर्क कर रहे हैं परंतु संतोष जनक जवाब नहीं मिलने पर एवं उन्हें बीमा राशि प्राप्त नहीं होने पर जनसुनवाई तक आवेदन देने का कदम उठाना पड़ा। किसानों ने बताया कि उन्हे पूरी उम्मीद है की जिला कलेक्टर के आदेश पर उन्हें उनकी फसल नुकसानी बीमा राशि शीघ्र मिल जाएगी।

भानपुरा में तहसील स्तरीय विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को आयोजित होगा

शिक्षा पर जोर, नशे से छुटकारा, प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं का व बुजुर्गों तथा महिलाओं का किया जाएगा सम्मान, समाज की कुरितियों पर भी होगा वार

भानपुरा। आदिवासी भील समाज में आगामी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस भव्य रूप से मनाया जाने को लेकर भारी उत्साह का वातावरण है। उक्त जानकारी देते हुए आदिवासी भील समाज के तहसील अध्यक्ष व वरिष्ठ शिक्षक अनिल दोहिदा ने जानकारी देते हुए बताया कि भील समाज तीसरे वर्ष विश्व आदिवासी दिवस भव्य रूप से मनायेगा।

दोहिदा ने कहा कि उपरोक्त आयोजन में समुचित तहसील भानपुरा व नगर मुख्यालय सहित तहसील भानपुरा के करीब 35 गांव एवं मंदसौर, गांधी सागर, रावतभाटा, रामपुरा, गरोठ शामगढ़, रामगंज मंडी, झालावाड़, भवानी मंडी, चेचट आदि स्थानों से लगभग 5000 से अधिक आदिवासी भील समाज जन कृषि उपज मंडी में आयोजित सम्मेलन में शामिल होंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक गरोठ भानपुरा चंदर सिंह सिसोदिया होंगे साथ ही समाज के वरिष्ठ समाजसेवी एवं पदाधिकारी मंदसौर नीमच जिलों व अन्य स्थानों से आयोजन में समाज जनों का मार्गदर्शन करेंगे। तहसील अध्यक्ष दोहिदा के अनुसार समाज के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ नशे व समाज को कुरितियों को त्यागकर सुदृढ़ परिवार व समाज के निर्माण के प्रति जगाना है।

मल्हारगढ़ से आज शुरू होगा मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान

मंदसौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026 का जिले में शुभारंभ 7 अगस्त को मल्हारगढ़ से होगा। अभियान का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का मौके पर निराकरण करने के साथ शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लोक सेवाओं की समय-सीमा में उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

अभियान के तहत जिले के नगर परिषद एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में प्रत्येक शुक्रवार शिविर आयोजित किए जाएंगे। इनमें जिला एवं स्थानीय प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहकर नागरिकों की समस्याएं सुनेंगे और यथासंभव उनका मौके पर ही निराकरण करेंगे। साथ ही विकास कार्यों एवं विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी।

जनसंवाद के दौरान प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाएगा। जिला स्तर पर समाधान संभव नहीं होने वाले मामलों को संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से समन्वय कर समयबद्ध रूप से निराकृत कराया जाएगा। सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के लंबित प्रकरणों की भी विशेष समीक्षा होगी।

एक नजर

शादी का झांसा देकर बिहार की महिला को मध्यप्रदेश लाने का मामला

विवाद के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस

पिपलियामंडी। ग्राम बरखेड़ा जयसिंह में बिहार की एक गर्भवती महिला को कथित रूप से शादी का झांसा देकर मध्यप्रदेश लाने का मामला तूल पकड़ गया है। ग्रामीणों द्वारा पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाने और विरोध के बाद आखिरकार पिपलियामंडी पुलिस ने महिला की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर लिया।

वहीं ग्रामीणों ने थाने में पदस्थ महिला सब-इंस्पेक्टर जया भारद्वाज पर कार्रवाई में लापरवाही बरतने और आरोपी पक्ष से कथित लेन-देन के कारण तत्काल प्रकरण दर्ज नहीं करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

> **शादी के पहले महिला से मारपीट**
>
> महिला ने रिपोर्ट में बताया कि 5 अगस्त को कथित तौर पर शादी के लिए कुछ लोग उसे देखने आए थे और अगले दिन लड़के का घर दिखाने की बात कही गई। शाम को जब दिलीप ने उससे अपने घर का काम करने को कहा तो उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह शादी होने के बाद ही काम करेगी। इसी बात पर आरोपी ने कथित रूप से गाली-गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की, जिससे सिर, पेट और हाथ में चोट आई। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।

जानकारी के अनुसार बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले की रहने वाली सोनी खातून (25) ने पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि पति से विवाद के बाद वह काम की तलाश में केरल से उज्जैन आई थी। वहां रेलवे स्टेशन पर उसकी मुलाकात बरखेड़ा जयसिंह निवासी दिलीप बैरागी से हुई। महिला का आरोप है कि दिलीप ने उसे दूसरी शादी कराने का भरोसा दिलाया और अपने गांव ले आया, जहां वह पिछले सात-आठ दिनों से उसके घर रह रही थी।

महिला के अनुसार शोर सुनकर गांव के नरेंद्र सिंह, ईश्वर सिंह और योगेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे, जिनकी मदद से वह थाने पहुंची। घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि महिला लगातार रो रही थी और अपने घर वापस जाने की बात कह रही थी। सूचना पर डायल-112 उसे थाने ले गई, जहां ग्रामीणों ने तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि महिला सब-इंस्पेक्टर जया भारद्वाज ने शुरुआत में प्रकरण दर्ज नहीं किया।